

पंचक.

अनिल कुमार बाजपेयी,  
विशेष सचिव  
डॉप० शासन।

सेवा में

निदेशक,  
राज्य नगरीय विकास अभियान,  
उपरोक्त।

नगरीय रोजगार एवं गरीबी

उत्तमलल कार्यक्रम विभाग।

विष्णु शर्मा

विषय: राहरा गराम के अनुदान संख्या-37 से जनपद-चन्दला का योजना”(आवासीय भवन) के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 में अनुदान संख्या-37 से जनपद-चन्दला की निकाय-चन्दौली (मुगलसराय) की सामान्य वर्ग के 38 आदासी की 01 परियोजना में मूल्यवृद्धि की वित्तीय स्थैकृति।

लखनऊ : दिनांक : ३१ मार्च, २०१८

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-5337/10/आसरा/मूल्यवृद्धि/सन्निति/2017-18(वाल्प्यभूम-3) दिनांक 26  
मार्च, 2018 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि शहरी ग्रामीणों के लिए अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों तथा  
नगरीय भूमिका वास्तविकों में "आसरा योजना" (आवासीय भवन) के अन्तर्गत जनुदान संख्या-37 से वित्तीय वर्ष  
2014-15 में जनपट-चन्दौली की निकाय-चन्दौली (मुगलसराय) की 48 आवासों के सापेक्ष सामान्य वर्ग के  
लाभार्थियों के 38 आवासों की 01 परियोजना हेतु शासनादेश संख्या-1386/69-1-14-14(आसरा-37)/2014,  
दिनांक 03 सितम्बर, 2014 (क्रमांक-4) द्वारा रु0 145.93 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति सहित  
उक्त के सापेक्ष प्रथम किशत के रूप में परियोजना लागत का 50 प्रतिशत अर्थात रु0 72.965 लाख तथा  
शासनादेश संख्या-666/2016/2250/69-1-16-14(आसरा-37)/2014, दिनांक 03 नवम्बर, 2016 (क्रमांक-6)  
द्वारा द्वितीय किशत के रूप में परियोजना लागत का 50 प्रतिशत अर्थात रु0 72.965 लाख की वित्तीय  
स्वीकृति जारी की गयी थी। अतएव उक्त परियोजना के कार्यों को पूर्ण करने हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में  
उक्त योजनान्तर्गत प्राविधिक इंजिन की धनराशि से अवस्थापना सुविधाओं सहित परियोजना में हुई मूल्यवृद्धि के  
दृष्टिकोण से कुल रु0 200.40 लाख की पुनरीक्षित प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति सहित उक्त के सापेक्ष  
तिन्मतिलिखित तालिका के स्तम्भ-9 में अंकित मूल्यवृद्धि के रूप में देय अन्तर की धनराशि रु0 54.47 लाख  
(रुपये चौबन लाख सेंतालीस हजार भाव) की वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों/प्रतिवर्त्ती  
के अधीन सहर्ष प्रदान करते हैं:-

(पुनराशि लाभ रूपये में)

के अधीन सहर्ष प्रदान करते हैं:-							प्रदान करते हैं:-	
क्र० सं०	जनपद/ लिंगाय का नाम/ कुल आवासों की संख्या	ग्रेल परियोजना की कुल आवासीय लागत की संख्या (अवस्थापना मुविधाओं रहित)	सामाज्य वर्ग के लाभार्थियों के आवासों के आवासों की संख्या	सामाज्य वर्ग के लाभार्थियों के आवासों परियोजना की मूल लागत (अवस्थापना मुविधा रहित)	परियोजना हेतु प्रथम द्वितीय <sup>व</sup> परियोजना की किश्त के रूप में कुल भनराशि	पुनरीक्षित परियोजना की मूल लागत (अवस्थापना मुविधाओं सहित) धनराशि	अवस्थापना मुविधाओं सहित समाज्य वर्ग के लाभार्थियों के मूल रूप में देय पुनरीक्षित परियोजना की कुल धनराशि (8-6)	अवस्थापना मुविधाओं सहित समाज्य वर्ग के मूल रूप में देय अन्तर की कुल धनराशि
1	2	3		5	6	7	8	9
1	चन्दौली/ मुगलसराय- 48 आवास	184.33	38	145.93	145.93	253.14	200.40	54.47
				योग				54.47

(कागे हौंडव लाख सेंतालीस हजार मात्र)।

-2/

787

1. उक्त धनराशि का व्यय आसरा योजना (आवासीय भवन) के सम्बन्ध में जारी दिशा-निर्देश विषय सासनादेश संख्या-33/69-1-13-14(31)/2012टीसी(सी), दिनांक 16 जनवरी, 2013 एवं शासनादेश संख्या-1833/69-1-14-14(31)/2012टीसी(सी)दिनांक 09 सितम्बर, 2014 में दिये गये दिशा-निर्देश/व्यवस्था का पूर्णस्फूर्त अनुपालन सुनिश्चित करते हुए की जायेगी। पात्र लाभार्थियों के नियमानुसार चयन का पूर्ण दायित्व जिलाधिकारी/अध्यक्ष, इडा तथा निदेशक, सूडा को होगा।
2. प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
3. प्रायोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व मानचिह्नों के आवश्यकतानुरूप स्थानीय विकास प्राधिकरण/सक्षम लोकल अथारिटी से स्वीकृत कराया जायेगा। साथ ही नियमानुसार समर्जन आवश्यक वैधानिक आपत्तियां एवं पर्यावरणीय विलयरेन्स प्राप्त करने के उपरान्त ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
4. उक्त धनराशि शासन/प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग/राज्य स्तरीय समन्वय समिति द्वारा निर्धारित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन उपर्युक्तानुसार निहित मद में व्यय की जायेगी। योजनान्तर्गत परियोजना में मानकीकृत क्षेत्रफल, मानचित्र एवं मात्रा में किसी प्रकार का परिवर्तन अनुमन्य नहीं होगा। प्रायोजना में कोई उल्लेखनीय परिवर्तन ऊर्जे कार्य बढ़ाने, कार्यों के आकार में वृद्धि एवं अन्य उच्च विशिष्टियों का इस्तेमाल करना इत्यादि सक्षम स्तर का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।
5. उक्त धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है, उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जाये। सामग्री/उपकरणों का क्रय वित्तीय नियमों के अनुसार किया जायेगा। परियोजनाएं पूर्ण गुणवत्ता व पारदर्शिता के साथ पूर्ण करायी जायेगी एवं किसी प्रकार का कास्ट एस्केलेशन अनुमन्य नहीं होगा।
6. सूडा/इडा द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि स्वीकृत किये जा रहे इस कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है। उक्त स्वीकृत धनराशि आवंटित परिव्यय के अन्तर्गत होने एवं कार्यों की द्विरावृति/पुनरावृति न हो इसे सूडा/इडा द्वारा अपने स्तर से सुनिश्चित किया जायेगा।
7. निर्माण कार्य अरम्भ करने के पूर्व इन-सीटू आवासों के भू-स्वामियों के भू-स्वामित्व का सत्यापन अनिवार्य रूप से किया जायेगा।
8. सूडा/इडा द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि व्यय वित्त समिति द्वारा अनुमोदित आसरा योजनान्तर्गत आवासों के निर्माण से सम्बन्धित मानकीकरण के अनुसार ही आवास बनाये जाय व व्यय वित्त समिति द्वारा अधिरोपित शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।
9. परियोजना को इसी पुनरीक्षित अनुमोदित लागत में ही यथाशीघ्र गुणवत्तापूर्वक पूर्ण कराकर जनपयोगी बनाया जाय। परियोजना का भविष्य में कोई और पुनरीक्षण स्वीकार नहीं होगा। वर्क इन के अन्तर्गत कराये गये कार्यों की लागत का समस्त उत्तरदायित्व सूडा/इडा/कार्यदायी संस्था का होगा।
10. उक्त धनराशि बैंक के माध्यम से आहरण के पश्चात राज्य नगरीय विकास अभियान व सम्बन्धित इडा द्वारा परियोजना सम्बन्धी सभी परियादों का सक्षम स्तरीय निराकरण कराकर गुणवत्ता आदि विन्दुओं सहित यथापेक्षित योजना निर्देशों के अनुपालन पर आश्रित होकर, तत्काल सम्बन्धित इडा/उनके माध्यम से निर्माण इकाई को उपलब्ध करा दी जायेगी, जो अपने स्तर पर भी उक्तानुसार सभी पहलुओं पर आश्रित हो लेंगे।

3. यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय-जाप संख्या-8/2017/वी-1-1190/दस-2017-231/2017 दिनांक 03.08.2017 एवं समय-समय पर जारी आदेशों के तहत जारी किये जा रहे हैं।

मवद्धि  
५३/१८

(अनिल कुमार बाजपेयी)  
विशेष सचिव।

संख्या-277/2018/45241/69-1-18 तिथिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम, ३०प्र०,२० सरोजनी नायडू मार्ग, इलाहाबाद।
2. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, ३०प्र०, छठवां तल, संगम प्लेस, सिविल लाइन, इलाहाबाद।
3. सचिव, नगरीय रोजगार एवं ग्रामीण उन्नति उन्नति कार्यक्रम विभाग, ३०प्र० शासन।
4. जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला नगरीय विकास अभिकरण, चन्दौली।
5. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-४, ३०प्र० शासन।
6. नियोजन अनुभाग-४, ३०प्र० शासन।
7. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
8. वित्त नियंत्रक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, ३०प्र०, लखनऊ।
9. सहायक वेब मास्टर, सूडा को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु।
10. गार्ड फाइल/कम्प्यूटर सहायक/बजट समन्वयक।

आज्ञा से,

(अधिकारी ब्रह्मचारी)  
अनु सचिव।